रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

28 JUL 1970

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1970 (आषाढ़ 27, 1892)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1970 (ASADHA 27, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 1 जून 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 1st June 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

NIL

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	609
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	817
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	59
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	863
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2451
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3041
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	479
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	789
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	273
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	103
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	451
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	119
पूरक संख्या 28—	
4 जुलाई 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1195
14 जून 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1209

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	609
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	817
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	59
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	863
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union	2451
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3041
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	479
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	789
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	273
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	103
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	451
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	119
SUPPLEMENT NO 28	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 4th July 1970	1195
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 14th June 1970	1209

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 जुलाई 1970

संकल्प

सं० 8/2/69-हि०-2—गृह मन्त्रालय के तारीख 5 सितम्बर 1967 के संकल्प संख्या 8/2/67-हि०स०स० के अधीन गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति में भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय हिन्दी समिति का सदस्य सहर्ष नियुक्त करती है :—

1. श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा, संसद सदस्य
2. श्री लीलाधर कटकी, संसद सदस्य
3. श्री सतीश चन्द्र सामन्त, संसद सदस्य
4. डा० गगाधर मानसिंह

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, सब राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मन्त्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाएँ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

प्रेम नाथ घोर, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1970

संकल्प

सं० बी० पी० ई० (आई० एण्ड आर०)/29/69—सरकारी उपक्रमों में जन-सम्पर्क और प्रचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए, वित्त मन्त्रालय (सरकारी उद्यम कार्यालय) के 26 दिसम्बर 1969 के इसी संख्या के संकल्प द्वारा जो समिति स्थापित की गयी थी उसका कार्यकाल एतद्द्वारा 31 अक्तूबर 1970 तक बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० एन० बनर्जी, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1970

संकल्प

सं० 28 एम० टी० (21)/69—केन्द्रीय सरकार पोत-परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के संकल्प सं० 28-एम० टी० (6)/67 दिनांक 10 अगस्त, 1967 जो 26, अगस्त, 1967 को भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित हुआ था में जारी किए गये व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण बोर्ड नियम,- 1967 को और संशोधित करती है, अर्थात्

नियम 6 में दूसरा परन्तुक निम्न प्रकार से निविष्ट किया जाएगा

"परन्तु यदि नियम 5 के मद संख्या में नामित गैर सरकारी सदस्य संसद सदस्य भी हो तो वह दो वर्ष के लिए सदस्य होगा या उतने देर के लिए जितने देर तक वह सदन का सदस्य रहेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करना है इनमें से जो भी कम हो"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि महा-निदेशक, पोतपरिवहन, जहाज भवन बालचन्द हीराचन्द मार्ग, बम्बई-1, और सभी सम्बद्ध हितों को भेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 28-एम० टी० (19)/69—24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के संकल्प सं० 28-एम० टी० (19)/69, दिनांक 7 जनवरी, 1970 के आंशिक आशोधन में केन्द्रीय सरकार श्री एम० पी० भार्गव जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर एतद्द्वारा श्री बी० टी० कुलकर्णी, सदस्य, राज्य सभा को अध्यक्ष नामति करती है।

2. केन्द्रीय सरकार पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के संकल्प सं० 28-एम० टी० (19)/69 दिनांक 7 जनवरी, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

"क्रम सं० 1 में श्री एम० पी० भार्गव, की प्रविष्टि के स्थान पर श्री बी० टी० कुलकर्णी प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि महा-निदेशक पोतपरिवहन जहाज भवन बालचन्द हीराचन्द मार्ग, बम्बई 1, और सभी सम्बद्ध हितों को भेज दिया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० तिरुमलै, संयुक्त सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1970

सं० 53/18/69-पी० डी०—भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 53/18/67-फै०-2, दिनांक 11 अक्तूबर, 1968 के द्वारा कलकत्ता की गोदियों के सम्बन्ध में एक त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

1. गठन

1. श्री एन० एन० चटर्जी, अध्यक्ष
सह सचिव, श्रम, रोजगार व पुनर्वास
मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) ।

अब भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के प्राध्यापक ।

2. **श्रमिकों के प्रतिनिधि**

(i) श्री पी० के० गांगुली,
वाटरफ्रंट श्रमिक राष्ट्रीय यूनियन ।

(ii) श्री ए० आहद खान,
कलकत्ता गोदी श्रमिक यूनियन ।

(iii) श्री एन० दत्त मजुमदार,
पश्चिम बंगाल गोदी मजदूर संघ यूनियन ।

3. **नियोजकों के प्रतिनिधि**

(i) श्री एम० आर० दास } जहाजरानी के हितों
(ii) श्री ए० एस० मेहता } के प्रतिनिधि ।

(iii) श्री डी० एस० बोस—कलकत्ता मास्टर नौभरक एसोसियेशन के प्रतिनिधि ।

4. स्वतन्त्र सदस्य—श्री के० एन० बनर्जी,
सेवा-निवृत्त उप-महा-प्रबन्धक,
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ।

5. श्री आर० राय—उपाध्यक्ष, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ।

2. **विचारार्थ विषय**

1. अन्य पत्तनों के गोदी श्रमिकों की तुलना में कलकत्ता के गोदी श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले काम का सामान्य अध्ययन करना और कम काम करने के कारणों की जांच करना ।

2. यह जांच करना कि वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं से, जहां तक काम का सम्बन्ध है, अपेक्षित फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है और सुधार के उपाय सुझाना ।

3. यह जांच करना कि क्या और प्रोत्साहन योजनाएं चालू की जानी चाहिएं और यदि हां, तो उन सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देना जिन पर ये आधारित होनी चाहिएं ।

4. (i) प्राप्त अनुभव के आधार पर यह जांच करना कि पंजीकृत और अपंजीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आए हुए श्रमिकों का वर्गीकरण कहां तक उचित है और क्या उनमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है ?

(ii) यह भी जांच करना कि क्या उपरोक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाले वर्गों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं, और

(iii) यह जांच करना और सिफारिश करना कि विभिन्न वर्गों के श्रमिकों में कार्य के अवसर की उत्तरदायित्व-पूर्ण समानता सुनिश्चित करने के लिए रोजगार में लचक कैसे प्राप्त की जा सकती है ।

5. कलकत्ता में गोदी श्रमिक बोर्ड की योजनाओं के कार्य-संचालन की सामान्यतः जांच करना और यह रिपोर्ट देना कि इन योजनाओं के उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं और यदि उनमें कोई कमी हो, तो उसे दूर करने के उपाय सुझाना ।

6. विशेषकर अपंजीकृत योजनाओं के कार्य-संचालन की जांच करना और यह सुझाव देना कि विशिष्ट समिति की सिफारिशों और अनुभव के प्रकाश में भविष्य में क्या नीति होनी चाहिए ।

7. यह जांच करना कि मासिक आधार पर श्रमिकों के रोजगार में क्यों कमी आयी है और यह सुझाव देना कि अधिकाधिक पैमाने पर ऐसे रोजगार कहां तक सुनिश्चित हो सकते हैं ।

8. रंग रोगन व चिपिंग सम्बन्धी कार्यों की ऊँची लागत और कलकत्ता पत्तन में ऐसे काम में ह्रास आने के कारणों की जांच करना और यह सुझाव देना कि यह विकासशील और आवश्यक उद्योग किस प्रकार अपनी पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है और कैसे इसका आगे विकास किया जा सकता है ।

9. अन्य पत्तनों में प्रचलित सामान्य उत्पादन और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों की भावी आवश्यकता की जांच करना और यदि कुछ व्यक्ति फालतू हों, तो निम्न कारणों को दृष्टि में रखते हुए उनकी सूचना देना :—

(i) भविष्य में यातायात का रुख;

(ii) जहाजी सामान को उठाने के ढंग में भावी रुख; और

(iii) नयी हल्दिया गोदी में ढेर जहाजी सामान के यातायात को स्थानान्तरण पूर्णतः मशीनीकृत होगा ।

10. यदि पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित जांच के परिणामस्वरूप कुछ श्रमिक फालतू हो जाएं, तो इस सम्बन्ध में यह सुझाव

देना कि फालतू हुए श्रमिकों के बारे में किसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना समेत क्या व्यावहारिक उपाय निकाले जा सकते हैं।

2. समिति की दूसरी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 19 अगस्त, 1969 को प्राप्त हुई। समिति की रिपोर्ट के अध्याय 13 में जो सिफारिशें दी गई हैं, उसका सारांश संलग्न है।

3. समिति की सिफारिशों पर नई दिल्ली में 19-20 सितम्बर, 1969 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सम्यक विचार करने के पश्चात्, सरकार ने कलकत्ता गोदी सम्बन्धी त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकार करने का निश्चय किया है :—

1 **विचारार्थ विषय संख्या-4**

सिफारिश (ख)—

क्लीनिंग गैंग श्रमिक, मार्कमैन, कारपेंटर इत्यादि को सामान्य कार्य श्रमिकों के एक वर्ग में रखा जाएगा और उन्हें इस शर्त पर पंजीकृत किया जाएगा कि इन श्रमिकों की संख्या यथोचित रूप से निश्चित की जाएगी।

2 **विचारार्थ विषय संख्या-5**

(i) सिफारिश (ग)—

सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु श्रमिक की वार्षिक डाक्टरी परीक्षा के बाद यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कि अमुक श्रमिक अपना काम करने के लिए शारीरिक रूप से ठीक है, उस श्रमिक को 60 वर्ष तक नौकरी में रखा जाए।

(ii) सिफारिश (ङ)—इस योजना के अन्तर्गत स्थायी आदेशों या नियमों का उल्लंघन करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध जांच होने तक कार्य-स्थल पर मुअत्तली जैसी संक्षिप्त कार्यवाही करने का अधिकार श्रम अधिकारियों को, न कि निरीक्षकों को दिया जाना चाहिए।

(iii) सिफारिश (च)—सिफारिश का वह भाग जिसमें प्रशासकीय निकाय को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है, स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान प्रथा को जारी रखा जाए।

(iv) सिफारिश (ज)—जहां तक सिफारिश के उस भाग का सम्बन्ध है जिसके अनुसार प्रशासकीय निकाय को कल्याण कार्य सौंपना है, गोदी श्रमिकों के प्रतिनिधियों को कल्याण कार्यों की योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सहयोजित किया जाए। परन्तु कल्याण कार्यों का दिन-प्रति-दिन का प्रशासन नियोजकों पर छोड़ दिया जाए।

3 (घ) **विचारार्थ विषय संख्या-7**

(i) सिफारिश संख्या-3 : यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे अपितु दक्ष नियोजकों को हटाया न जाए, ऐसे नियोजकों को अपने समूह बनाने चाहिए,—प्रत्येक समूह के पास एक लाइसेंस होना चाहिए।

(ii) सिफारिश संख्या 6—यह तभी कारगर होगी जब कि सब गोदी श्रमिक अपने अपने वर्गों में मासिक श्रमिक बन जाएंगे।

4 (ङ) **विचारार्थ विषय संख्या-8**

(i) सिफारिश संख्या (Iv)—नियोजक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में एक ही लाइसेंस के साथ समूह बना सकते हैं।

(ii) सिफारिश संख्या (VIII)—सेवा-नियुक्ति की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु श्रमिक की वार्षिक डाक्टरी परीक्षा के बाद यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कि अमुक श्रमिक अपना काम करने के लिए शारीरिक रूप से ठीक है, उस श्रमिक को 60 वर्ष तक नौकरी में रखा जाए।

5 (च) **विचारार्थ विषय संख्या-10**

(i) सिफारिश संख्या (ख)—जो सूचीबद्ध श्रमिक कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के बाद स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति होना चाहते हैं, उन्हें सूची-बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत की गई सेवा के लिए मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा सेवा-निवृत्ति योजना में सूचीबद्ध श्रमिकों के लिए उल्लिखित दर से मिलेगा और इसके अलावा उन्हें उक्त सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के रूप में मिलने वाला मुआवजा भी मिलेगा।

(ii) सिफारिश संख्या (ग): यदि अस्थायी सूचीबद्ध श्रमिक कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन योजना, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होने से 3 महीने की समयावधि के अन्दर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए लिखते हैं, तो वे चाहे उनकी आयु अथवा सेवा काल कुछ भी क्यों न हो, पहले की भांति 2000/-रुपए की तदर्थ अदायगी पाने के अधिकारी बने रहेंगे।

4. सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने निम्न योजनाओं का मसौदा प्रकाशित किया है :—

(क) कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन), योजना, 1970।

(ख) कलकत्ता रंग-रोगन व चिपिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970।

5. पंजीकृत और सूचीबद्ध श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्विति करने के लिए भारत सरकार ने कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड को 5 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर करना स्वीकार कर लिया है। सरकार ने 1969-70 के दौरान भारतीय आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और यह स्वीकार किया है कि शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में अदा कर दी जाएगी।

6. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों और सम्बन्धित नियोजकों अर्थात् नौभरकों, जहाजरानी कम्पनियों/स्टीमर अभिकर्त्ताओं और ठेकेदारों से सरकार द्वारा यथास्वीकृत त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने की प्रार्थना की गई है।

7. भारत सरकार समिति की, उसे सौंपे गए मामलों को निपटाने के लिए, सराहना करती है।

परिशिष्ट

सिफारिशों का सारांश

विचारार्थ विषय संख्या 1

अन्य पत्तनों में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में कलकत्ता पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सामान्य अध्ययन करना और कम काम करने के कारणों की जांच करना।

(1) अच्छे नियन्त्रण और कार्य की अच्छी देखरेख के लिए, सभी डेक फोरमैनों और हैज फोरमैनों को सीधे नौभरकों द्वारा मासिक आधार पर नियोजित किया जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा ऐसे पर्यवेक्षी वर्गों के लिए कोई पूल नहीं बनाना चाहिए। (पैरा 3-4-5) (सर्वसम्मत)

(2) पत्तन प्राधिकरणों के सहयोग से नौभरकों को पारी समाप्त होने पर या उसके शीघ्र बाद गैंग के सदस्यों को गैंगवार किए गये काम के बारे में अवगत करवाना चाहिए।

(पैरा 4-3) (सर्वसम्मत)

(3) पत्तन आयुक्तों द्वारा स्थायी पर्यवेक्षक कर्मचारियों, नौभरक गियर और मासिक गैंगों के सम्बन्ध में निश्चित मानक निर्धारित किए जाने चाहिएं और जो नौभरक इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक नौभरक द्वारा गत 2 वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक कार्य की मात्रा की जांच होनी चाहिए और जो नौभरक न्यूनतम निर्धारित आंकड़ों पर नहीं पहुंच पाते, उनको लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 3-4-12) (सर्वसम्मत नहीं)।

विचारार्थ विषय संख्या 2 और 3

यह जांच करना कि वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं से, जहां तक काम का सम्बन्ध है, अपेक्षित फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है और सुधार के उपाय सुझाना।

यह जांच करना कि क्या और प्रोत्साहन योजनाएं चालू की जानी चाहिएं और यदि हां, तो उन सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देना जिन पर ये आधारित होनी चाहिएं।

केन्द्रीय पत्तन और गोदी श्रमिक मजूरी वेतन बोर्ड ने कलकत्ता के गोदी श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है। इस समिति के तीन सदस्य इस उपसमिति के भी सदस्य हैं। इस उपसमिति द्वारा तैयार की गई योजना मुख्यतः इस समिति द्वारा सुझायी गयी रूपरेखा के अनुरूप है। गोदी श्रमिकों सम्बन्धी प्रोत्साहन योजना तैयार करने के लिए सुझाई गई मार्ग-दर्शक रूपरेखा इस प्रकार है :—

(क) गोदी श्रमिकों सम्बन्धी उजरती-दर योजना को आवश्यक रूप से समुद्र तटीय श्रमिकों की वर्तमान योजना का समर्थन करना चाहि औरएं उसका पूरक बनाना चाहिए।

(ख) नई योजना को कलकत्ता गोदी की वर्तमान अनौपचारिक प्रोत्साहन योजना के कार्य संचालन को दृष्टि में रखना चाहिए;

(ग) निर्वाह मजूरी का होना आवश्यक है; और

(घ) पारी की समाप्ति के तुरन्त बाद गैंगवार [illegible] उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। (सर्वसम्मत नहीं)

हम यह सिफारिश करते हैं कि सरकार को यह योजना [illegible] होने पर शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करनी चाहिए।

(पैरा 5 7)

विचारार्थ विषय संख्या 4

(i) प्राप्त अनुभव के आधार पर यह जांच करना कि पंजीकृत और अपंजीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आए हुए श्रमिकों का वर्गीकरण कहां तक उचित है और इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है?

(ii) यह भी जांच करना कि क्या [illegible] के अन्तर्गत न आने वाले वर्गों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं; और

(iii) यह जांच करना और सिफारिश करना कि [illegible] वर्गों के श्रमिकों में कार्य के अवसर की [illegible] समानता सुनिश्चित करने के लिए [illegible] कैसे प्राप्त की जा सकती है।

गोदी श्रमिकों की वर्तमान परिभाषा बहुत ही व्यापक है। 'गोदी श्रमिक' शब्द केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए [illegible] चाहिए जो मुख्य रूप से या पूर्णतः जहाजों पर माल उतारने और चढ़ाने के काम में लगे हैं। इस प्रश्न पर, कि क्या श्रमिकों के किसी अन्य वर्ग को, जो वर्तमान दो योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आता, इन योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए, गोदी श्रमिकों की उपर्युक्त परिभाषा के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए। (पैरा 2, 8, 9 और 7, 6, 4) (सर्वसम्मत नहीं)।

नये वर्गों के लिए निम्न सिफारिशें करते समय समिति ने [illegible] आधारभूत मानकों का प्रयोग किया है :

(क) बैगरों, स्टिचरों और नमक [illegible] के लिए [illegible] सिफारिश की जाती है कि निर्वाह-मजूरी वाली प्रोत्साहन [illegible] शुरू करने के पश्चात और विचारार्थ विषय संख्या 10 के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की क्रियान्विति से श्रमिकों की संख्या में उपयुक्त कमी होने पर इन श्रमिकों [illegible] पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। [illegible]

अधिकांश श्रमिक नौभरकों के मासिक रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए। (पैरा 6. 10) (सर्वसम्मत नहीं)।

(ख) क्लीनिंग गैंग श्रमिकों, मार्करमैनों, [illegible] (अर्थात् कूपरों) आदि के लिए यह सिफारिश की जाती है कि चूंकि इनका काम सामान्य ढंग का है, इसलिए इन श्रमिकों को सामान्य कार्य के श्रमिकों के एक वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए और वर्तमान गोदी श्रमिक बोर्ड तथा नौभरक एसोसियेशन के वर्तमान प्रशासनिक निकाय के अन्तर्गत पंजीकरण की एक अलग योजना में रखा जाना चाहिए। इस योजना में ऐसे उपबन्ध होने चाहिए कि [illegible] नियोजकों को समुद्र के किनारे और यहां तक कि [illegible] के लिए पूल बनाने की अनुमति दें। (पैरा 6. 14. 1) (सर्वसम्मत नहीं)।

(ग) चौकीदारों और गियर उठाने वाले श्रमिकों के लिए हम यह सिफारिश करते हैं कि उन्हें वर्तमान [illegible], ठेकेदारों, जहाजरानी कम्पनियों/स्टीमर अभिकर्ताओं और नौभरकों द्वारा सांविधिक योजना के अन्तर्गत सीधे मासिक [illegible] किया जाना चाहिए।

(पैरा 6. 14. 2) ([illegible])

(घ) अयस्क उठाने वाले [illegible] समुद्र [illegible] श्रमिक हैं जो ऐसे व्यापार [illegible] 1970 [illegible] में हल्दिया में स्थानान्तरित किया जाएगा। इस [illegible] हुए हम यह सिफारिश नहीं कर सकते कि [illegible] को गोदी श्रमिक बोर्ड की किसी योजना के अन्तर्गत [illegible]। फिर भी, यह मालूम हुआ है कि उनकी [illegible] और हम यह अनुभव करते हैं कि [illegible] उठाये जाने चाहिए। (पैरा 6. 14. 3) (सर्वसम्मत)।

(ङ) बार्जमैन जहाज के [illegible] जहाज के माल के परिवहन के [illegible] के गोदी श्रमिकों की हमारी परिभाषा [illegible]। वे भी ऐसे श्रमिक हैं, जिन्हें कतिपय [illegible] पड़ता है और इसलिए उनका [illegible]। [illegible] करते हैं कि सरकार को उनकी सेवा [illegible] बारे में यह कहा गया है कि [illegible] शीघ्र जांच करनी चाहिए। (पैरा 6. 14. 4) ([illegible])।

(च) गोदी पर्यवेक्षक और [illegible] वाले कर्मचारियों के लिए हम कोई [illegible] क्योंकि यह मालूम हुआ कि अधिनियम के अन्तर्गत इन श्रमिकों के लिए [illegible] योजना तैयार करने के बारे में नौभरक [illegible] गोदी श्रमिक एसोसियेशन के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। यह भी मालूम हुआ है कि श्रम मन्त्रालय इस मामले में कार्यवाही कर रहा है। फिर भी, हम आग्रह करते हैं कि नौभरक [illegible] इन श्रमिकों की सेवा शर्तों तथा अन्य बातों के बारे में [illegible] बातचीत करके यथाशीघ्र ब्यौरा तैयार [illegible] चाहिए।

(पैरा 6. 14. 5)

हमने यह प्रस्ताव किया है [illegible] वर्गों के श्रमिकों को एक साथ मिला देना [illegible] 3 की शर्तें पूरी हो जाएं और [illegible] रोजगार के स्तरों को समान बनाया [illegible]।

यह दृढ़ता से अनुभव किया गया है [illegible] के किसी वर्ग को पंजीकृत अथवा सूचीबद्ध करने [illegible] किया जाना चाहिए कि वर्गों की [illegible] रोजगार को लचीला बनाकर, सीमित की जाए। एक ही [illegible] के अन्दर अनेक उप-वर्ग बनाने की प्रवृत्ति [illegible] की जानी चाहिए। (पैरा 6. 3) ([illegible])

(छ) स्क्रेप, पिग, आइरन, मिल स्केल [illegible] लिए यह सिफारिश की जाती है कि [illegible] ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच वर्तमान व्यवस्था [illegible] चाहिए ताकि उच्चतर लाभ और [illegible] उत्कृष्ट सेवा-शर्तें सुनिश्चित हो सकें। ([illegible] सर्वसम्मत)।

विचारार्थ विषय संख्या 5

कलकत्ता में गोदी श्रमिक बोर्ड [illegible] की सामान्यतः जांच करना और [illegible] योजनाओं के उद्देश्य कहां तक प्राप्त [illegible] कोई कमी हो तो उसे दूर करने के उपाय [illegible]।

(1) हम यह सुझाव देते हैं कि 195[illegible] निम्निखित संशोधन होने चाहिए :—

(क) इस योजना में [illegible] संशोधन किया जाना चाहिए [illegible] अदायगी की पद्धति योजना [illegible] लागू करने सम्बन्धी [illegible] जोड़ दिया जाना चाहिए [illegible] नियोजकों दोनों ही के लिए [illegible] अनिवार्य हो जाए। (पैरा 7 [illegible])

(ख) इस योजना में जहां [illegible] वहां इसके स्थान पर [illegible] चाहिए। इस शब्द के [illegible] जाना चाहिए जिसमें [illegible] अर्थात् नियोजक (नौभरक [illegible] नौभरक) इत्यादि की [illegible]।

(पैरा [illegible]) ([illegible])

(ग) योजना में नए भर्ती हुए [illegible] की आयु निर्दिष्ट की जानी [illegible] निश्चित की जानी चाहिए [illegible] भर्ती होने की अधिकतम [illegible] नहीं होनी चाहिए।

(पैरा [illegible]) ([illegible])

(घ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा [illegible] आने पर श्रमिकों को 60 वर्ष से अधिक [illegible] अनुमति देने की वर्तमान रीति [illegible]।

([illegible])

(ङ) अनुशासन लागू करने के सम्बन्ध [illegible] अधीन बोर्ड के निरीक्षकों को [illegible]

का उल्लंघन करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध कार्य-स्थल पर ही निलम्बित करने जैसी संक्षिप्त कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रति पारी में आजकल दो या तीन निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उनकी संख्या प्रति पारी के लिए बढ़ाकर 4 करना आवश्यक है। निरीक्षकों के कार्यालय सहायक यातायात अधीक्षकों अथवा कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के श्रमिक पर्यवेक्षकों के कार्यालय के सनिकट स्थित होने चाहिए।

(पैरा 7, 6, 7) (सर्वसम्मत नहीं)

(ब) नियोजकों के प्रशासकीय निकाय को पर्याप्त कार्यकारी अधिकारी दिए जाने चाहिएं ताकि वे इस योजना तथा बोर्ड के सभी निर्णयों का प्रशासन और कार्यान्वयन कारगर ढंग से कर सकें। प्रशासकीय निकाय का अध्यक्ष श्रमिक अधिकारी द्वारा दिए गए दंड के लिए अपील प्राधिकारी होगा। बड़े बड़े अपराधों के लिए, जहां श्रम अधिकारी को दिए गए प्राधिकार से अधिक दंड देने के अधिकार की आवश्यकता हो, वहां प्रशासकीय निकाय का अध्यक्ष दण्डकारी प्राधिकारी होगा और बोर्ड का उपाध्यक्ष अपील प्राधिकारी होगा। तब नियोजक ऐसोसियेशन के लिए, जो कि प्रशासकीय निकाय को बनाता है, एक पूर्णकालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक होगा। जैसा कि बम्बई में किया गया है, इस अधिकारी को नियोजकों द्वारा पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिएं। उसे किसी भी श्रमिक को, जो इस योजना के दायित्वों का उल्लंघन कर रहा हो, तुरन्त निलंबित करने का अधिकार होना चाहिए।

बोर्ड के पर्यवेक्षी-व-कार्यकारी कर्मचारियों की रूप-रेखा का जो नमूना ऊपर सुझाया गया है वह अन्तिरिम काल के लिए है, जब तक कि 75 प्रतिशत श्रमिक नौभरकों के मासिक रोजगार में स्थानान्तरित नहीं किए जाते।

(पैरा 7, 6,8) (सर्वसम्मत नहीं)

(छ) यह बोर्ड केवल नीति निश्चित करने वाला निकाय ही होना चाहिए इसे इस योजना के दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(पैरा 7, 6, 9) (सर्वसम्मत नहीं)

(ज) प्रशासकीय निकाय को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी दिए जाने चाहिएं, ताकि यह अपने दिन प्रति दिन के प्रशासन को, जिसमें कल्याण योजनाओं का प्रशासन भी सम्मिलित है, चला सके। दिन प्रति दिन का प्रशासन चलाने तथा नियन्त्रण के लिए केवल यही प्राधिकारी होना चाहिए।

(पैरा 7, 6, 10) (सर्वसम्मत नहीं)

(2) गोदी श्रमिक बोर्ड और प्रशासकीय निकाय कार्यालयों की वर्तमान स्थिति की जांच प्रतिष्ठान के यथोचित संगठन और पद्धति अध्ययन द्वारा की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए कार्य-कुशलता विशेषज्ञों की योग्यता प्राप्त निकाय की सेवाएं उपलब्ध की जाएं। संभवतः गोदी श्रमिक बोर्ड के फालतू हुए कर्मचारियों का एक भाग नौभरकों द्वारा काम पर लिया जा सकता है क्योंकि उन्हें भारी संख्या में श्रमिक अपनी मासिक नामावली में रखने होंगे। काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। यह योजना उनके लिए बनायी जाएगी।

(पैरा 7, 6, 11) (सर्वसम्मत नहीं)

(3) सरकार द्वारा कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के यातायात प्रबन्धक की नामजदगी बोर्ड में उसके नामित व्यक्तियों के रूप में की जानी चाहिए।

(पैरा 7, 6, 12) (सर्वसम्मत)

(4) आजकल गैंग आधार पर श्रमिकों की बुकिंग की जाती है। इसके स्थान पर श्रमिकों की बुकिंग व्यक्तिगत आधार पर की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वर्तमान गैंगों को तोड़ना और श्रमिकों की वर्ग-वार सूची बनाना आवश्यक होगा। जब कभी गैंग में कोई स्थान रिक्त होता है तब गैंग के अन्दर एक दर्जा पदोन्नति देने की वर्तमान रीति समाप्त करना भी आवश्यक होगा। (पैरा 7, 6, 13)

(5) **औद्योगिक सम्बन्ध, संचार प्रणाली और शिकायत प्रक्रिया के सम्बन्ध में सिफारिशें :**

(क) प्रशासकीय निकाय के कार्यालय के उन अनुभागों के, जो श्रमिकों के मामले निपटाते हैं, कार्यभारक उन अधिकारियों को बनाना चाहिए जिन्हें कार्मिक प्रबन्ध में, जो कि अब एक अच्छा विकसित विज्ञान है, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त हो।

(पैरा 7, 10)

(ख) पर्याप्त शिकायत प्रक्रिया औपचारिक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए और उसे प्रत्येक श्रमिक के पास भेज देना चाहिए। (पैस 7,10)

(ग) प्रबन्धकों को श्रमिकों के साथ सीधा और सरल सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए तथा विभिन्न भाषाओं में पुस्तिकाएं जारी करके एवं अन्य साधनों द्वारा उन्हें सभी आवश्यक सूचनाएं वितरित करनी चाहिए।

(पैरा 7, 12)

(घ) एक द्विपक्षीय संयुक्त सलाहकार निकाय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे निम्न स्तरों पर संयुक्त समितियो द्वारा सहायता प्रदान की जाए। संयुक्त सलाहकार निकाय को विवाद के गम्भीर मामलों तथा अन्य महत्व-पूर्ण विषयों का निपटारा करना चाहिए और संयुक्त समितियों को योजनाओं के दैनिक कार्य, अनुशासन, कल्याण आदि समस्याओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। (पैरा 7, 16)

(छ) व्यक्तिगत शिकायत और सामूहिक शिकायत के बीच अन्तर किया जाना चाहिए और प्रत्येक के लिए अलग प्रक्रिया होनी चाहिए।

(पैरा 7, 17)

(च) कई एक नामोद्दिष्ट व्यक्तियों से आसानी से और मित्रता-पूर्ण सम्पर्क सुनिश्चित होना चाहिए ताकि श्रमिकों की शिकायतों की शीघ्र सुनवाई हो सके, उन्हें दूर किया जा सके, शंकाओं का स्पष्टीकरण किया जा सके तथा उन्हें अपने मामले प्रस्तुत करने में अन्य प्रकार की सहायता मिल सके; और

(पैरा 7, 18)

(छ) गोदी कार्य का एक उद्योग माना जाए और इसलिए प्रशासकीय निकाय को श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच कारगर संचार की एक प्रणाली निश्चित करनी चाहिए।

(पैरा 7, 18) (सर्वसम्मत)

विचारार्थ विषय संख्या—6

विशेषकर अपंजीकृत योजना के कार्यसंचालन की जांच करना और यह सुझाव देना कि विशिष्ट समिति की सिफारिशों और अनुभव के प्रकाश में भविष्य में क्या नीती होनी चाहिए।

(1) जो सूचीबद्ध योजनाएं अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुई; उन्हें नहीं रखना चाहिए। इन योजनाओं के स्थान पर उपयुक्त पंजीकृत योजनाएं रखी जानी चाहिऐं।

(पैरा 8, 3) (सर्वसम्मत)

(2) ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब कि सूचीबद्ध श्रमिकों की संख्या को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना क्रियान्वित करके व्यवहार्य स्तर तक ला दिया जाए।

(पैरा 6, 10 और 8, 2) (सर्वसम्मत नहीं)

(3) यदि सूचीकरण योजना को रखना आवश्यक हो, तो भविष्य में सूचीकरण करने से पहले प्रत्येक वर्ग में आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का अनुमान भविष्य में बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए। फिर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी श्रमिक के सूचीकरण और अन्तिम रूप से पंजीकरण के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तर न हो। यदि इस अवधि के बाद सभी सूचीबद्ध श्रमिक पंजीकृत न हो सकें तो पंजीकृत पूल या मासिक सूची में ऐसी संख्या दर्ज की जानी चाहिए जो आसानी से पंजीकृत की जा सकती है। यह समिति इस कदम की सिफारिश इसलिए करती है कि दोनों में यही अच्छा है भले ही इससे नयी समस्या उत्पन्न होगी अर्थात् कुछ व्यक्ति पंजीकृत योजना में ही रह जाएंगे।

(पैरा 8,3) (सर्वसम्मत)

विचारार्थ विषय संख्या—7

यह जांच करना कि मासिक आधार पर श्रमिकों के रोजगार में क्यों कमी आयी है और यह सुझाव देना कि अधिकाधिक पैमाने पर ऐसे रोजगार कहां तक सुनिश्चित हो सकते हैं।

(1) इस योजना के खण्ड 29 के अन्तर्गत मासिक श्रमिकों के रोजगार पर लगाए गए प्रतिबन्ध वापस लिए जाने चाहिए। (पैरा 9, 3) (सर्वसम्मत नहीं)

(2) मासिक श्रमिकों की परिलब्धियां पूल श्रमिकों की परिलब्धियों से अवश्य ही अधिक होनी चाहिए।

(सर्वसम्मत)

(3) वैयक्तिक नियोजकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों के वार्षिक रोजगार के आधार पर, नियोजकों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे नौभरक लाइसेंस धारण करने के लिए अपेक्षित श्रमिकों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों आदि की निश्चित संख्या अपने मासिक रजिस्टरों में रखें।

ऐसे नियोजकों को, जिनको अपने श्रमिकों की संख्या और पूल में इन्डेंट दो साल की समयावधि में निर्धारित मानक से नीचे हों, नियोजक रजिस्टर से अपना नाम निकलवा देना चाहिए। हां, नियोजक मासिक रजिस्टर में निर्धारित श्रमिकों की संख्या रखने के लिए समूह बना सकते हैं।

अन्ततः सूचीबद्ध स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना की कारगर क्रियान्विति से 75 प्रतिशत श्रमिक उन नौभरकों के मासिक रजिस्टरों में दर्ज हो जाएंगे, जो कार्यकारक नियोजक हैं।

(पैरा 9, 8 और 9, 10) (सर्वसम्मत नहीं)

(4) मासिक श्रमिकों को भी पूल श्रमिकों की तरह सभी पारियों में काम करना चाहिए।

(पैरा 9, 9) (सर्वसम्मत नहीं)

(5) डेक फोरमैनों और हैच फोरमैनों की नियुक्ति नौभरकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जानी चाहिये।

(पैरा 9, 11) (सर्वसम्मत)

(6) यदि किसी एक विशेष वर्ग के सभी श्रमिकों को नौभरकों के मासिक गैंगों में ले लिया जाए, तो वैयक्तिक नियोजकों अथवा नियोजकों के समूहों को अन्य ऐसे नियोजकों से मासिक श्रमिकों की सेवाएं उधार लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उन्हें अस्थायी रूप से छोड़ने की स्थिति में हों।

(पैरा 9.11) (सर्वसम्मत नहीं)

विचारार्थ विषय संख्या 8

रंग रोगन व चिपिंग सम्बन्धी कार्यों की ऊंची लागत और कलकत्ता पत्तन में ऐसे काम में ह्रास आने के कारणों की जांच करना और यह सुझाव देना कि यह विकासशील और आवश्यक उद्योग किस प्रकार अपनी पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है और कैसे इसका आगे विकास किया जा सकता है।

निम्न सुझाव दिए जाते हैं, जिनसे समिति के मतानुसार कलकत्ता गोदियों में रंग रोगन न चिपिंग करने वाले धन्धों में सामान्य स्थिति स्थापित हो जाएगी :—

(1) सेरंगों/सरदारों को मासिक रजिस्टरों में दर्ज किया जाना चाहिए और उनको ऐसा मासिक वेतन दिया जाना चाहिए जो उनके लिए आकर्षक हो तथा उन्हें विभिन्न नियोजकों में विभक्त किया जाना चाहिए।

[illegible] बोर्ड को उनके लिए कोई पूल नहीं बनाना [illegible]।

(पैरा 10, 5, 1) (सर्वसम्मत)

(2) [illegible] में और कमी की सम्भाव्यता की [illegible] की जानी चाहिए और जहां कहीं सम्भव [illegible] एकीकरण करने के लिए कार्यवाही की [illegible]।

(पैरा 10, 5, 2) (सर्वसम्मत)

(3) [illegible] की उपलब्धता पर व्यक्तिगत नियोजकों [illegible] में निर्धारित संख्या में श्रमिकों [illegible]। (पैरा 10, 5, 3) (सर्वसम्मत [illegible])

(4) [illegible] में नियोजकों की संख्या आवश्यकता से [illegible] यह अनुभव करती है कि इस क्षेत्र [illegible] की संख्या 20 से अधिक नहीं [illegible]। नियोजकों को अपना समूह या संघ [illegible] मिलनी चाहिए ताकि वे अपने [illegible] बर्किंग कर सकें।

(पैरा 10, 5, 4) (सर्वसम्मत नहीं)

(5) [illegible] योजना बनायी जानी चाहिए [illegible] कार्य स्तर पर निर्वाह मजूरी की [illegible] जानी चाहिए। इस योजना के ब्यौरे [illegible] तैयार किए जाने चाहिएं।

(पैरा 10, 5, 5) (सर्वसम्मत नहीं)

(6) [illegible] रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 4,000/- [illegible] का न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार लगाया [illegible]। (पैरा 10, 5, 6) (सर्वसम्मत)

(7) [illegible] में बोर्ड को यह अधिकार दिया जाना [illegible] वह ऐसे नियोजकों का नाम निकाल दे, जिनके पास लगातार दो साल तक कोई काम न हो।

(पैरा 10, 5, 7) (सर्वसम्मत)

(8) [illegible] उपयुक्त पंजीकरण योजना के अन्तर्गत [illegible] चाहिए जिसके लिए एक अलग प्रशासनिक [illegible]। यह कार्य स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना [illegible] संख्या व्यवहार्य स्तर तक कम करने के [illegible] ही किया जाना चाहिए। इस योजना में सेवा-निवृत्ति की आयु 55 वर्ष निश्चित की जानी चाहिए।

(पैरा 10, 5, 8) (सर्वसम्मत नहीं)

(9) [illegible] विपिंग करने वाले तथा अन्य श्रमिकों की [illegible] तथा अन्य निजी सुरक्षात्मक उपकरण देने के लिए सरकार को उपयुक्त सांविधिक व्यवस्था [illegible]। (सर्वसम्मत)

विचारार्थ विषय संख्या 9 :

अन्य पत्तनों में [illegible] सामान्य उत्पादन और कर्मचारियों की [illegible] के आधार पर कर्मचारियों की भावी आवश्यकता की जांच [illegible] और [illegible] कुछ श्रमिक फालतू हों तो निम्न कारणों को दृष्टि में [illegible] उनको सुझाव देना :—

(i) [illegible] का खर्च,

(ii) जहाजी [illegible] को उठाने के ढंग में भावी रुख; और

(iii) [illegible] में ढेर जहाजी सामान के यातायात का स्थानान्तरण पूर्णतः मशीनीकृत होगा।

गोदी श्रमिक [illegible] द्वारा बम्बई और मद्रास के पत्तनों में [illegible] कार्य के आधार पर और इन पत्तनों [illegible] गैंग लगाने के पैमाने को ध्यान में [illegible] को वर्गवार रूप से तय किया गया है। इस रिपोर्ट में [illegible] का भी, जिन पर ये परिगणनाएं [illegible] है। अपेक्षित कर्मचारियों की परिगणनाओं [illegible] कार्य की 1.5 इकाई को प्रति गैंग-पारी का [illegible] बनाया गया है। (प्रोत्साहन योजना के अनुसार [illegible] बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है)। समिति इसे इस समस्या का और अधिक व्यावहारिक हल समझती है। जैसा कि पहले के अध्याय में सुझाया गया है, यदि श्रमिकों की नियुक्ति में [illegible] प्राप्त हो सकती है, तो जनशक्ति की आवश्यकता और भी कम होगी।

(पैरा 11, 6 और 11.7) (सर्वसम्मत)

विचारार्थ विषय संख्या 10 :

[illegible] जांच के परिणाम स्वरूप कुछ श्रमिक [illegible] सम्बन्ध में यह सुझाव देना कि फालतू [illegible] किसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना [illegible] उपाय निकाले जा सकते हैं। फालतू श्रमिकों की संख्या जैसा कि विचारार्थ विषय संख्या 9 में उल्लिखित है, [illegible] है। इनकी समस्या को निपटाने के लिए [illegible] कार्यवाही की सिफारिश नहीं की जा रही है। [illegible] दिया है कि श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति [illegible] योजना द्वारा श्रमिकों को उद्योग छोड़ने के [illegible]। समिति द्वारा ऐसी योजनाएं पंजीकृत और सूचीबद्ध [illegible] प्रकार के श्रमिकों के लिए तथा अस्थाई रूप से सूचीबद्ध किए गए श्रमिकों के लिए बनाई गई हैं और उन्हें रिपोर्ट के मुख्य भाग में उल्लिखित किया गया है। योजना की मुख्य बातों का सारांश नीचे दिया गया है :—

(1) पंजीकृत श्रमिकों के लिए :

40 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने वाले श्रमिकों को मुआवजा उनकी शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1½ महीने के वेतन की दर से दिया जाएगा। [illegible] उम्र के पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए मुआवजे में एक-एक महीने का वेतन कम कर दिया जाएगा। यह योजना उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगी जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई हो। 60 वर्ष के पश्चात् [illegible] के रूप में 6 महीने के वेतन [illegible] जाएगी।

(पैरा 12.6) (सर्वसम्मत)

(स) सूचीबद्ध श्रमिकों के लिए :

यह योजना दो भागों में है :—

(i) ये श्रमिक कैरियर के नुक्सान के लिए वही मुआवजा प्राप्त करेंगे जो कि पंजीकृत श्रमिकों के लिए ऊपर सुझाया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, उन्हें की गई सेवा के प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक मास का वेतन मिलना चाहिए।

(पैरा 12.6) (सर्वसम्मत)

(ग) अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किए गए श्रमिक :

यह समिति यह सिफारिश करती है कि इन सभी श्रमिकों को, भले ही उनकी उम्र और सेवाकाल कितना ही क्यों न हो, 2000/- रुपए की राशि तदर्थ अदायगी के रूप में मिलनी चाहिए।

(सर्वसम्मत नहीं)

ये योजनाएं शुरू किए जाने की तारीख से केवल 6 मास तक चालू रहेंगी।

(पैरा 12.6) (सर्वसम्मत)

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं का खर्च बोर्ड द्वारा सरकार से बिना ब्याज के ऋण लेकर वहन किया जाना चाहिए। यह ऋण नियोजकों से (और स्वभावतः पत्तनों का प्रयोग करने वाले विभिन्न लोगों से) गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा मजूरी पर उपकर लगाने की सामान्य विधि से वसूल किया जाएगा।

(पैरा 12.7) (सर्वसम्मत)

जैसे ही सरकार इस समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, वैसे ही गोदी श्रमिक बोर्ड को इस योजना के ब्यौरे और उसकी पेचीदगियों का अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए और श्रमिकों को, उनके द्वारा काफी मात्रा में प्राप्त होने वाले धन के समुचित प्रबन्ध और निवेश के बारे में, मार्ग-दर्शन देना चाहिए।

(पैरा 12.11) (सर्वसम्मत)

गोदी श्रमिक बोर्ड के पास एक पूर्णकालीन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, जो स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की क्रियान्विति का भार सम्भाले। उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी और एक ऐसा अनुभाग होना चाहिए जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों।

(पैरा 12.12) (सर्वसम्मत)

सामान्य :

चूंकि इन सिफारिशों को बनाने में यथासम्भव व्यापक परामर्श किया गया है और चूंकि कलकत्ता पत्तन में स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए यह समिति यह अनुभव करती है कि सरकार के लिए सम्बन्धित पक्षों (जिनमें श्रमिक, जहाजरानी हित, नौभरक आदि शामिल हैं) से विस्तार विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित पक्षों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी० एस० संकरन, सह सचिव

नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1970

संकल्प

सं० ईई-एक-3/8/69—श्रम एवं नियोजन मन्त्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं० ई० पी०/ईई-81(1)/58 तारीख 13 अक्तूबर, 1958 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय नियोजन समिति पर सभी राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों का एक-एक प्रतिनिधि मनोनीत होगा।

सं० ईई-एक-3/8/69—श्रम एवं नियोजन मन्त्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं० ई० पी०/ईई-81(1)/58 तारीख 13 अक्तूबर, 1958 के अनुसरण में भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं० ई० पी०-81(1)/58 तारीख 19 जनवरी, 1959 के अन्तर्गत केन्द्रीय नियोजन समिति का संगठन किया था, जो नियोजन सम्बन्धी समस्याओं, नियोजन अवसरों के जुटाने तथा राष्ट्रीय नियोजन सेवा की गतिविधि के बारे में श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को परामर्श देती थी। बाद में अधिसूचनाएं सं० ईई-81/1/62 तारीख 7 नवम्बर, 1962 व सं० ईई-एक-3/15/66 तारीख 26 सितम्बर, 1966 के अन्तर्गत समिति का दो बार पुनर्गठन किया गया। समिति के 26 सितम्बर, 1966 को पुनर्गठित समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर भारत सरकार अगले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय नियोजन समिति का पुनर्गठन करती है और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों को इस समिति पर मनोनीत करती है :—

1. भारत सरकार के श्रम, नियोजन पुनर्वास मन्त्री अध्यक्ष
2. आंध्र प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि [गृह (श्रम) विभाग]
3. असम सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
4. बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं नियोजन विभाग)
5. गुजरात सरकार के एक प्रतिनिधि (शिक्षा एवं श्रम विभाग)
6. हरियाणा सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं नियोजन विभाग)
7. जम्मू व काश्मीर सरकार के एक प्रतिनिधि (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)
8. केरल सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं समाज कल्याण विभाग)
9. मध्य प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
10. महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि (उद्योग एवं श्रम विभाग)
11. मेघालय सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
12. मैसूर सरकार के एक प्रतिनिधि (खाद्य, सिविल रसद तथा श्रम विभाग)
13. नागालैंड सरकार के एक प्रतिनिधि (गृह विभाग)
14. उड़ीसा सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम, नियोजन एवं

आवास विभाग)

15. पंजाब सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं नियोजन विभाग)
16. राजस्थान सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं नियोजन विभाग)
17. तमिलनाडु सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
18. उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
19. पश्चिमी बंगाल सरकार के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
20. अण्डमान प्रशासन के एक प्रतिनिधि (विकास विभाग)
21. चण्डीगढ़ प्रशासन के एक प्रतिनिधि (गृह विभाग)
22. दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन के एक प्रतिनिधि
23. दिल्ली प्रशासन के एक प्रतिनिधि (नियोजन प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग)
24. गोवा, दमन एवं दीव प्रशासन के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं सूचना विभाग)
25. हिमाचल प्रदेश प्रशासन के एक प्रतिनिधि (उद्योग विभाग)
26. लक्कादीव प्रशासन के एक प्रतिनिधि (प्रशासन विभाग)
27. मनिपुर प्रशासन के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
28. पांण्डीचेरी प्रशासन के एक प्रतिनिधि (श्रम विभाग)
29. त्रिपुरा प्रशासन के एक प्रतिनिधि (श्रम एवं नियोजन विभाग)
30. श्री राम धन, संसद सदस्य (लोक सभा)
31. श्री ए० दुरईरासु, संसद सदस्य (लोक सभा)
32. श्री सवाई सिंह सिसौदिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)
33. श्री मनोरंजन राय, संसद सदस्य (राज्य सभा)
34. डा० बलजीत सिंह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
35. डा० गौतम माथुर, अर्थविभाग, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
36. अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के एक प्रतिनिधि ।
37. लघु उद्योग मंडल के एक प्रतिनिधि ।
38. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ।
39. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ।
40. हिन्द मजदूर सभा के एक प्रतिनिधि ।
41. भारतीय नियोजक संघ (इम्पलायर्ज फैडरेशन आफ इंडिया) के एक प्रतिनिधि ।
42. अखिल भारतीय नियोजक संगठन (आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ इम्पलायरज) के एक प्रतिनिधि ।
43. अखिल भारतीय उत्पादक संगठन (आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्ज आर्गेनाइजेशन) के एक प्रतिनिधि ।
44. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की एक प्रतिनिधि ।
45. निदेशक, प्रयुक्त जनशक्ति अनुसन्धान का संस्थान, नई दिल्ली ।
46. संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं जनशक्ति निदेशक, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
47. नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, नई दिल्ली ।
48. नियोजन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली । (सदस्य-सचिव)

ग० जगन्नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 3rd June 1970

RESOLUTION

No. 8/2/69-*Hindi*-2.—The Government of India are pleased to appoint the following persons as Members of the Kendriya Hindi Samiti constituted under the Ministry of Home Affairs Resolution No. 8/2/67, dated 8th September 1967 :—

(1) Smt. T. Lakshmi Kanthamma, M.P.
(2) Shri Liladhar Kotoki, M.P.
(3) Shri Satis Chandra Samanta, M.P.
(4) Dr. Mayadhar Mansinha.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secrt., Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. DHIR, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 25th June 1970

RESOLUTION

No. F. BPE(I&R)/29/69.—The term of the Committee to go into the various aspects of public relations and publicity in public undertakings which was set up under the Ministry of Finance (Bureau of Public Enterprises) Resolution of even number dated 26th December, 1969 is hereby extended up to 31st October 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. BANERJI Addl. Secy & Director General, Bureau of Public Enterprises

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 27th June 1970

RESOLUTIONS

No. F. 28-*MT*(21)/69.—The Central Government is pleased to further amend the Merchant Navy Training Board Rules, 1967 issued *vide* the Ministry of Transport and

Shipping Resolution No. 28-MT(6)/67, dated the 10th August, 1967 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India on the 26th August, 1967 :

In Rule 6 a second proviso shall be inserted as follows :—

"Provided further that if a non-official nominated against item No. (xxv) of Rule 5 is also a Member of Parliament, he shall hold office for a period of 2 years or for so long as he continues to be a member of the House which he represents, whichever is less."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director General of Shipping, Jahaz Bhawan, Walchand Hirachand Marg, Bombay-1 and all concerned interests.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. F. 28-MT(19)/69.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 28-MT(19)/69, dated the 7th January, 1970 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India on the 24th January, 1970, the Central Government hereby nominates Shri B. T. Kulkarni, Member, Rajya Sabha to be the Chairman of the Merchant Navy Training Board in place of Shri M. P. Bhargava who has resigned.

2. The Central Government is further pleased to make the following amendment to the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 28-MT(19)/69, dated the 7th January, 1970 :—

"For the entry 'Shri M. P. Bhargava' appearing against serial No. 1, the entry 'Shri B. T. Kulkarni' shall be substituted."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director General of Shipping, Jahaz Bhawan, Walchand Hirachand Marg, Bombay-1 and all concerned interests.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. TIRUMALAI, It. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

(D.G.E. & T.)

New Delhi, the 7th July 1970

RESOLUTIONS

No. EEI. 3/8/69.—In partial modification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Resolution No. EP/EE-81(1)/58, dated the 13th October, 1958, the Central Government have decided that the Central Committee on Employment shall have on it a representative each of all the States and Union Territories.

No. EEI-3/8/69.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Resolution No. EP/EE-81(1)/58, dated the 13th October, 1958, the Government of India, constituted a Central Committee on Employment under their Notification No. EP-81(1)/58, dated the 19th January, 1959, to advise the Ministry of Labour and Employment on problems relating to employment, creation of employment opportunities and the working of the National Employment Service. The Committee was subsequently re-constituted twice under Notifications No. EE-81/1/62, dated the 7th November, 1962 and No. EEI-3/15/66, dated the 26th September, 1966. The term of the Committee constituted on the 26th September, 1966, having since expired, the Government of India are pleased to re-constitute the Central Committee on Employment for another period of three years and to appoint the members mentioned below to serve on the Committee with effect from the date of this Notification :—

1. The Union Minister of Labour, Employment and Rehabilitation.—*Chairman*
2. A representative of the Government of Andhra Pradesh, Home (Labour) Department.
3. A representative of the Government of Assam (Labour Department).
4. A representative of the Government of Bihar (Department of Labour and Employment).
5. A representative of the Government of Gujarat (Education and Labour Department).
6. A representative of the Government of Haryana (Labour and Employment Department).
7. A representative of the Government of Jammu and Kashmir (Industries and Commerce Department).
8. A representative of the Government of Kerala (Labour and Social Welfare Department).
9. A representative of the Government of Madhya Pradesh (Labour Department).
10. A representative of the Government of Maharashtra (Industries and Labour Department).
11. A representative of the Government of Meghalaya (Labour Department).
12. A representative of the Government of Mysore (Food, Civil Supplies and Labour Department).
13. A representative of the Government of Nagaland (Home Department).
14. A representative of the Government of Orissa (Labour, Employment and Housing Department).
15. A representative of the Government of Punjab (Labour and Employment Department).
16. A representative of the Government of Rajasthan (Labour and Employment Department).
17. A representative of the Government of Tamil Nadu (Labour Department).
18. A representative of the Government of Uttar Pradesh (Labour Department).
19. A representative of the Government of West Bengal Labour Department)
20. A representative of the Andaman & Nicobar Administration (Development Department).
21. A representative of the Chandigarh Administration (Home Department).
22. A representative of the Dadra & Nagar Haveli Administration.
23. A representative of the Delhi Administration (Department of Employment, Training and Technical Education).
24. A representative of the Goa, Daman Diu Administration (Labour and Information Department).
25. A representative of the Himachal Pradesh Administration (Industries Department).
26. A representative of the Laccadives Administration (Administration Department).
27. A representative of the Manipur Administration (Labour Department).
28. A representative of the Pondicherry Administration (Labour Department).
29. A representative of the Tripura Administration (Department of Labour and Employment).
30. Shri Ram Dhan, M.P. (Lok Sabha).
31. Shri A. Durairasu, M.P. (Lok Sabha).
32. Shri Sawai Singh Sisodia, M.P. (Rajya Sabha).
33. Shri Manoranjan Roy, M.P. (Rajya Sabha).
34. Dr. Baljit Singh, Professor of Economics, Lucknow University, Lucknow.
35. Dr. Gautam Mathur, Department of Economics, Osmania University, Hyderabad.

36. A representative of the All India Khadi and Village Industries Commission.

37. A representative of the Small Scale Industries Board.

38. A representative of the Indian National Trade Union Congress.

39. A representative of the All India Trade Union Congress.

40. A representative of the Hind Mazdoor Sabha.

41. A representative of the Employers' Federation of India.

42. A representative of the All India Organisation of Employers.

43. A representative of the All India Manufacturers' Organisation.

44. A representative of the All India Women's Conference.

45. Director Institute of Applied Manpower Research, New Delhi.

46. Joint Secretary to the Government of India and Director of Manpower, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

47. The Director General of Employment and Training, New Delhi.

48. The Director of Employment Exchanges, Directorate General of Employment and Training, New Delhi.—*Member-Secretary*.

G. JAGANNATHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970